तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामकुमार बनाम कलावती आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर – 18 / 2024	

08.07.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही आदेश दिए गए है। बहस सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम से चक 301–700 आरडी के मु0न0 212 / 1 के कि0न0 22ता25 में 4.0 बीघा कमांड 2 बिस्वा खाला सहित एवं मु0न0 212 / 2 के कि0न0 3 ता8 में 6.0 बीघा , किला नम्बर 14 में 1.0 बीघा कमाड तथा मु0न0 212 / 10 कि0न0 1 में 1 बीघा कमांड इस प्रकार कुल 3.0348 हैक्टेयर खाला सहित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज है। जो प्रार्थी के कब्जे एवं दखल में चली आ रही है। जिसमें मु0न0 212 / 1 के कि0न0 25 में प्रार्थी का मकान बना हुआ है। जिसमें अपने परिवार सहित निवास करता है। प्रार्थी उपरोक्त खातेदारी भूमि व घर में आने–जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं है। जिसके कारण अपनी भूमि में स्वतंत्र रूप से आना–जाना नहीं कर सकते । मु0न0 212 / 1 के किला नं0 1,10,11,20,21 में उत्तर से दक्षिण दिशा में कटानी रास्ता है। जो प्रार्थी की भूमि से पश्चिम दिशा में 1 बीघा की दूरी पर है। इससे अधिक नजदीक एवं सुविधाजनक अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के मु0न0 212 / 1 के किला नम्बर 19 ता 20 में दो–दो बिस्वा भूमि पासा दक्षिण दिशा पूर्व से पश्चिम में कटवाना चाहता है। जिससे प्रार्थी अपनी भूमि में आसानी से आवागमन कर सके। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के मु0न0 212 / 1 के किला नम्बर 19 ता 20 की दो–दो बिस्वा भूमि जो रास्ते में आयेगी उसके बदले में नियमानुसार प्रतिफल देने को तैयार है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए रास्ता नहीं है। प्रार्थी किसी भी प्रकार वाहन अपने घर तक नहीं ले जा सकता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा चक 301–700 आरडी के मु0न0 212 / 1 के किला नम्बर 19 ता 20 में 2–2 बिस्वा पासा दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम की और गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया गया।

राज पैरोकार द्वारा जवाब में कहा गया की स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता के सम्बन्ध में सरकार को कोई आपत्ति नहीं हैं। तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली शामिल हैं। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी रामकुमार को अपने खेत में जाने के लिए निकटतम व सुविधाजनक मु0न0 212 / 1 किला नम्बर 20 में स्वीकृत कटानी मार्ग है। इस रास्ते के लिए प्रार्थी मु0न0 212 / 1 के किला नं0 20,19 में दक्षिण दिशा में 16.06 फुट रास्ता स्वीकृत किया जाने हेतु उचित की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

हमने बहस का मनन किया । पत्रावली शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी चक 301–700 आरडी संवत् 2077–80 एवं नकल नक्शा एवं तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट का अवलोकन किया । पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के सम्बन्ध में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 301–700 आरडी में मु0न0 212 / 1 किला नम्बर 20 में स्वीकृत कटानी मार्ग है अतः इस रास्ते के लिए प्रार्थी मु0न0 212 / 1 के किला नं0 20,19 में दक्षिण दिशा में 16.06 फिट रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित हैं अतः प्रस्तुत बहस एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगने भुगतान होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2024को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर